



कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मुरा मढ़ावा थाना नं० 328, खाता सं० 35, खेसरा सं० 24/2, 169, रकबा 4.15 से संबंधित जमाबंदी रैयत शिव सुंदर सिंह पिता स्व. राम बहादुर सिंह नाम से ग्राम मुरा मढ़ावा में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

 14


अंचल अधिकारी
उत्तरपुर

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार अंचल उत्तरप्र

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
शिवा भुईया पिता स्व. सरवजीत सिंह	मुल्तवाडा	328	35	24/2, 169	4.15	ग्रीनफील्ड	जंगल सडी

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- लॉट नं. 24/2 ख खतीजन जीर्णोद्धार प्रकल्प में होने का कारण मिल चुका है
वर्तमान स्वरूप परी है लॉट नं. 169 में जंगल सडी है

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-
पंजी II में दर्ज करने वाले पट्टा का
नाम दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिवारित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूकान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अंचल अधिकारी

उत्तरप्र

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से

चाकु पंजी से

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद :- नहीं तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-युझरत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

एक अभिलेख सं. 14/2016-17 (अर्गीत चारा 4(h) B-LR Act, 1950) के तहत संबंधित भूमि का नोटिस तामिका अंचल कार्यालय के चेयरमैन से जारी किया गया कि नोटिस में दर्ज भूमि के संबंध में उस ग्राहक के ग्रामिण जनता द्वारा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति अभी तक घर निवास नहीं किया और वही इसका इस भूमि पर जोर हो रहा है। ग्राम में हस्तियान के अनुसार भूमि और मजदूरी खरीदे की है नोटिस में दर्ज एंक्ट 24/2 का खतीयान जीर्ण शीर्षक बताया में होने के कारण फिर भी पता चलता है कि एंक्ट 169 का बिल जमाबंदी नहीं मंगा पंजी मान लीव की नहीं है आफ लॉन्ग मंगा पंजी अंक में पिछला उपररह नहीं है। इस वाद की 4(h) की अपाई लागू करने की अनुमति की जाती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, कोई पाया। अतः अवैध जमाबंदी को रद्द करने की अनुमति मिली।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शिव भूम्या के पिता - सरखवी सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
मुल्तवाड़ा	328	35	24/2, 169	—

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैराजका मलिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II स्पष्ट नहीं है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:-

चातु पंजी - II

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

बंचल परतियकार

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

संदर्भ क्रमांक सं० 14 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना
बनाम शिवर सिंह वगैरे

फिदा-बख्श - सरवजीत सिंह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मुसमदावा थाना नं०.....
खाता सं० 37 खेसरा नं० 24/2¹⁶⁹ रकबा 415 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 111 के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।




08/12/22
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।